# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

### अधिसूचना

E-Mail

संख्याः–3/स्था0अं0अ0–16/2012–188 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 22/05/2013

राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–96 दिनांक–26.03.2010 एवं शुद्धि–पत्र अधिसूचना संख्या–100 दिनांक–27.03.2010 द्वारा अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के कर्मियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होने के कारण यह प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के स्तर से तैयार विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकीय कर्मियों के अनुमोदित पैनल से वाह्य पर्यवेक्षकीय कर्मियों को अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर अंतरिम कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदस्थापन किया जाएगा। तदनुसार ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त पैनेल के निम्नलिखित बाह्य पर्यवेक्षकीय कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ–4 से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ–5 में अंकित अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

| क्र0 | नाम | गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री हेमन्त कुमार RRD-001398 | मुजफ्फरपुर | सहकारिता प्रसार, पदा0, मुजफ्फरपुर | अंचल अधिकारी, एकमा, सारण |
| 2 | श्री सत्यनारायण पासवान RRD-000863 | खगडिया | सहकारिता प्रसार, पदा0, भागलपुर | अंचल अधिकारी, पानापुर, सारण |

2. उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है।

3. उपर्युक्त अधिकारियों के लिए वही सेवा शर्त्ते लागू रहेंगी जो ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा चयनित कर्मियों के लिए निर्धारित की गयी है।

4. कार्यहित में सभी चयनित/पदस्थापित कर्मियों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वैधानिक एवं प्रशासनिक आयामों के परिप्रेक्ष्य में बिपार्ड (BIPARD) के माध्यम से आवश्यकतानुसार औपचारिक उन्मुखीकरण किया जायगा।

5. सम्बन्धित समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि उपर्युक्त उल्लिखित पर्यवेक्षकीय कर्मी को नव पदस्थापित पद एव स्थान पर योगदान देने हेतु आज ही विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 22/5/13

(शशिभूषण तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–3/स्था0अं0अ0–16/2012–188 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 22/05/2013

प्रतिलिपिः–सभी विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव निर्वाचन विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/ सम्बन्धित समाहर्त्ता/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सम्बन्धित कर्मी बिना परागमन काल का उपभोग किये हुए नव पद पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/- 22/5/13

(शशिभूषण तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः—3/स्था0अं0अ0—16/2012—188 (3)/रा0, पटना—15, दिनांक— 22/05/2013

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/5/13
(शशिभूषण तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः—3/स्था0अं0अ0—16/2012—188 (3)/रा0, पटना—15, दिनांक— 22/05/2013

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय बेवसाइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/5/13
(शशिभूषण तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव